

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन(राज.)

वादीगण	ब	प्रतिवादीगण
महेन्द्र कुमार पुत्र नानूराम जाट निवासी जसवंपुरा हाल सरदारपुरा तह. कुचामन	ना म	सुमन पुत्री नानूराम जाट जसवंतपुरा वगैरह

राजस्व वाद पत्र = इस्तकरार हक व भू-विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T.Act 1955

राजस्व वाद-पत्र नम्बर = 268 /2023 GCMS No.2023/ 441

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इन्लियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------

14.09.2023 वकील वादी द्वारा यह राजस्व वाद रेकार्ड दुरुस्ति खातेदारी अधिकारो की घोषणा,भू-विभाजन अन्तर्गत धारा 53, 88, R.T.Act 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 16.10.2023 को पेश हो।

**उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)**

16/10/2023 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 08/10/2024 को पेश हो।

08/11/2023 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 18/3/2024 को पेश हो।

18/03/24 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 15/05/24 को पेश हो।

15/5/2024 वकील वादी उपण प्रतिवादीगण की तलबीदत सम्मन तलबका प्रदत्त करे। उपण वाद मय उदर 21/05/24 को जारी किया जावेगा। पत्रावली दिनांक 30/7/2024 को पेश हो।

30/07/24 पकुलाय फुरीकेन को आवाजे लगाई जाई। अनु० है। अतः वादीवद वादीगण अदम पेशी अदम हापरी में खारिज किया जाता है।



**उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)**

वाइस. 268/2023 अहिले ५ सुमन

GRMS NO. 2023/441

पत्रावली फॉसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दायिबल
दफतर हो

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

विशेषज्ञ उपायुक्त नगरपालिका/सुदूर पश्चिम प्रदेश
कोशी प्रदेशको विकास
कोशी प्रदेशको विकास